अदिति महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
बवाना, दिल्ली–110039

AM/2023/1609

दिनॉक : 01–9–2023

सूचना

महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव व महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 22 सितम्बर, 2023 को हो रहा है। इसके अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के लिये छात्राएँ प्रधान, उप–प्रधान, सचिव व सह–सचिव के चुनाव में भाग ले सकती हैं व चुनाव लड़ सकती हैं इसके नियमों की जानकारी के लिये छात्राएं श्री आशुतोष अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) से सम्पर्क करे। महाविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2023–24 के लिये चुनाव उपरोक्त तिथि को प्रधान, उप–प्रधान, सचिव व सह–सचिव पद हेतु निम्नलिखित नियमानुसार कराया जायेगा।

प्रधान पद हेतु

1. प्रधान पद के चुनाव के लिये इच्छुक छात्रा का तृतीय वर्ष की छात्रा होना आवश्यक है एवम् बी. एल.एड. की चतुर्थ वर्ष की छात्राएं भी चुनाव लड़ सकती हैं।
2. चुनाव में इच्छुक छात्रा का सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।
3. 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है।

उप–प्रधान पद हेतु

1. चुनाव के लिये इच्छुक छात्रा का द्वितीय वर्ष की छात्रा होनी चाहिए।
2. चुनाव में इच्छुक छात्रा का सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।
3. 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है।

सचिव पद हेतु

1. चुनाव के लिये इच्छुक छात्रा द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्रा होनी चाहिए।
2. चुनाव में इच्छुक छात्रा का सभी विषयों में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है।
3. 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है।

सह–सचिव पद हेतु

1. चुनाव के लिये केवल प्रथम वर्ष की छात्राएं ही लड़ सकती हैं।
2. प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए दिनॉक 3/9/23 तक 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है

केन्द्रीय पार्षद हेतु

1. केन्द्रीय पार्षद के चुनाव हेतु नामांकन विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जायेगा।
2. 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है।

जो छात्राएं एक बार किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ चुकी हैं वह दोबारा चुनाव नही लड़ सकती हैं। केवल केन्द्रीय पार्शद पद पर लडी हुई छात्रा प्रधान, उप–प्रधान, सचिव व सह–सचिव का चूनाव लड सकती है । उपरोक्त सभी नियमों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पारित नियमों का भी चुनाव में लड़ने वाली छात्राओं को पूर्ण करना पडेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पारित नियमों की जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें।

आवेदन करने वाली छात्राओं को आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र देना होगा कि वह पिछले वर्षो में किसी भी अपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं रही है तथा उसके विरूद्व महाविद्यालय ने कोई भी अनुशासनहीनता की कार्यवाही नहीं की है तथा सम्बन्धित छात्रा पिछले वर्षो में अनुत्तीर्ण नही हुई है तथा उसने चालू वर्ष में पुन प्रवेश नहीं लिया है । नामांकन पत्र के साथ पिछली परीक्षा की अंक–तालिका, परिचय–पत्र व फीस की रसीद की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है ।

01/09/23

डॉ0 ऋतु शर्मा
चुनाव अधिकारी

Mamta

प्रो0 ममता शर्मा
प्राचार्या